

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-216/2023)/अलेसे-III/301

दिनांक:- 21/01/2026

कार्यालय आदेश

श्री शक्ति सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 723110) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), वर्तमान कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर के पत्र क्रमांक 130-31 दिनांक 30.04.2025 के द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर एवं वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान की आई डी संख्या 602600002 दिनांक 09.01.2026 से प्राप्त सहमति के उपरांत राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 05.05.2025 से 18.06.2025 तक (कुल 45 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री शक्ति सिंह, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। स्वीकृत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार अभिवृद्धि की जाएगी।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

दिनांक:- 21/01/2026

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-216/2023)/अलेसे-III/301

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर।
- 2 वरिष्ठ निजि सचिव निदेशक महोदया।
- 3 संयुक्त निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
- 4 श्री शक्ति सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 723110) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर।
- 5 रक्षित/निजिपत्रावली।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)
Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.01.21 12:09:07 IST
Reason: Approver

